DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 10 अगस्त 2023 D----------

खाली रहे फ्लैट्स, मेंटिनेंस पर अब खर्च होंगे 25 लाख

नरेला में बने DDA के ये फ्लैट्स अब तक बिक नहीं सके हैं

- पॉकेट-4 और 5 के सेक्टर-G7/G8 में बने फ्लैट्स की मेंटिनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करने की तैयारी शुरू
- कॉन्ट्रैक्टरों को अपने आवेदन जमा करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

नरेला में बने डीडीए के खाली फ्लैट्स कुछ स्कीमों में शामिल होने के बाद भी अब तक नहीं बिक पाए हैं। अब डीडीए इन खाली फ्लैट्स की सालाना रिपेयर और मेंटिनेंस के लिए 25 लाख रुपये खर्च कर रहा है। डीडीए ने नरेला में खाली पड़े फ्लैट्स की मेंटिनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करने की तैयारी शुरू कर दी है।

डीडीए अधिकारी के अनुसार नरेला के पॉकेट-4 और पांच के सेक्टर-G7/G8 में बने फ्लैट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को अपने आवेदन जमा करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। टेक्निकल बिड 17 अगस्त को खुलेगी। 12 महीने के लिए यह टेंडर जारी होगा और इसके लिए 24,85,420 का अनुमानित बजट है।

2022 में डीडीए की खराब आर्थिक हालत की वजह इन फ्लैट्स को ही बताया गया था। डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार 2014 के बाद से अब तक डीडीए 57 हजार के करीब फ्लैट्स हाउसिंग स्कीम में ला चुकी है। इनमें से करीब 15500 फ्लैट्स लोगों ने सरेंडर कर दिए या वे बिक नहीं पाए। अकेले नरेला में डीडीए के 25,000 के करीब फ्लैट्स विभिन्न हाउसिंग पॉकेट में तैयार हैं। हालांकि मौजूदा समय में चल रही डीडीए की पहले आओ पहले पाओ चौथे चरण की स्कीम को बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्कीम के तहत लोगों ने नरेला में भी 660 से अधिक फ्लैट्स बुक करवा लिए हैं। डीडीए को उम्मीद है कि डीएमआरसी के मेट्रो प्रपोजल को मंजूरी मिलने के बाद ये सभी फ्लैट्स लोगों को पसंद आने लगेंगे।

NBT Lens
समझिए खबरों के अंदर की बात

क्यों नहीं बिक पाते डीडीए के फ्लैट्स

किसी जमाने में डीडीए फ्लैट्स के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब हालत ये है कि वर्षों से तैयार फ्लैट लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी वजह अब लोगों के पास बिल्डर्स फ्लैट का विकल्प है। दूसरा नरेला जैसे एरिया में डीडीए ने मोटी रकम खर्च करके फ्लैट्स तो बना दिए, लेकिन अब तक वहां कनेक्टिविटी के बारे में सोचा ही नहीं। यही वजह है कि नरेला में ही बरसों से 15 हजार से अधिक मकान खाली पड़े हैं। इसी वजह से डीडीए के करोड़ों रुपये भी अटके हुए हैं और खुद डीडीए ही वित्तीय संकट में फंस गया है।

द्वारका : ठीक हुईं दो महीने से बंद स्ट्रीट लाइटें

■ विस, नई दिल्ली : द्वारका की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटें करीब दो महीने बाद फिर से जलने लगी हैं। स्ट्रीट लाइटें नहीं जलने से लोग काफी परेशान थे। लाइटों को लेकर कोई हल न निकलता देखकर उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में भी अपील की थी।

2022 से ही डीडीए द्वारका की सर्विसेज का जिम्मा एमसीडी को हैंडओवर कर रहा है। यह प्रक्रिया अभी चल रही है। इसी के चलते यहां की स्ट्रीट लाइटों को लेकर कोई विभाग जिम्मेदारी लेने आगे नहीं आ रहा था। अब एमसीडी ने स्ट्रीट लाइटों से जुड़ा फंड डीडीए को वापस कर दिया है। निर्णय लिया गया है कि अब स्ट्रीट लाइटों से संबंधित जिम्मेदारी डीडीए ही निभाएगा। ऑल द्वारका फेडरेशन असोसिएशन के प्रेजिडेंट अजीत स्वामी ने बताया कि शिकायत के बाद जब हल नहीं निकला तब तक कोर्ट गए। अब स्ट्रीट लाइटें काम कर रही हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times
NEW DELHI
THURSDAY
AUGUST 10, 2023

1,130 premium DDA flats in Dwarka may be sold in Dec

Snehil Sinha
snehil.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: 1,130 premium flats constructed by the Delhi Development Authority (DDA) in south-west Delhi's Dwarka Sector 19B are nearing completion and may be put on sale by December, according to officials aware of the matter.

The luxury society will have 14 duplex penthouses, 170 super high-income group flats, and 946 high-income group (HIG) flats. With two basements, each flat will also get a parking space for two cars. While the penthouses will have four bedrooms, the super HIGs will have three rooms and a study, and the HIG flats will have three bedrooms.

With 11 towers, this gated society will have golf course-facing penthouses, super HIG, and HIG flats, the officials said. There will also be an additional four towers with 728 EWS flats.

While the society was expected to be ready by Diwali, the construction may take longer, officials said, adding that the flats should be ready for possession by December or January. The society is being constructed at a cost of around ₹700 crore.

Officials said that the exact prices of the flats were yet to be finalised, but one can expect the penthouse flats to be priced at ₹3.5 crore or higher — the highest price for any residential property of DDA. The HIG flats will also cost over ₹2 crore.

"We are making all efforts to get the flats ready by Diwali, but looking at the current rate of progress on site, it may be ready only by December or later. However, we may likely launch the scheme in November and ready the flats for allotment over the next couple of months. These are the costliest set of flat under DDA," said a senior DDA official, requesting anonymity.

To be sure, some older DDA flats in south Delhi, in areas such as Vasant Kunj and Masjid Moth are costlier than the ones being constructed in Dwarka in terms of their market value.

Another official added that unlike the ongoing scheme where flats are being allotted on a "first come first served" (FCFS) basis, the Dwarka luxury flats will be allotted through draw of lots. "We are already getting several queries for these flats, and we expect that these will sell fast. So, we don't need to offer them on an FCFS basis. There are also various luxury features that we are offering for the first time that have piqued interest in people," said the second DDA official.

WHILE THE EXACT PRICES OF FLATS ARE YET TO BE FINALISED, ONE CAN EXPECT THE PENTHOUSE FLATS TO BE PRICED AT ₹3.5 CR OR HIGHER, OFFICIALS SAID

The penthouses will have terrace gardens and luxury fittings, and the society also has several commercial spaces, along with a large green space surrounded by the towers. While launching the scheme, DDA will also prepare a sample flat for the buyers, a practice that was started only during the ongoing scheme launched on June 30.

Officials said that the brickwork, shuttering, plastering, flooring, waterproofing, and stonework were nearly complete.

Some of the finishing work includes exterior painting, laying of pavement, tile work, aluminium doors and windows, fire doors, shutters, and hand railing among others.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 10 अगस्त • 2023 | राष्ट्रीय सहारा

झूठा श्रेय लेना जानते हैं सीएम : सचदेवा

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को बगैर काम के श्रेय लेने का महारत है। संवाददाता सम्मेलन में शहीदी पार्क के पुनर्विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि यह पार्क केंद्र सरकार से मिले 15 करोड़ रुपए के अनुदान से विकसित किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाना जरूरी नहीं समझा। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रवीण शंकर कपूर, विक्रम मित्तल भी मौजूद थे।

केंद्र ने दिल्ली को दिया यह तीसरा वेस्ट टू वंडर पार्क : प्रदेश अध्यक्ष

प्रदेश अध्यक्ष ने शहीदी पार्क में बने वेस्ट टू बंडर पार्क के प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि यह पार्क पूरे देश की सांस्कृतिक झलक दिखाते हुए अब मध्य दिल्ली का एक उत्कृष्ट पर्यटक केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क के अलावा केंद्र ने दिल्ली को तमाम योजनाएं दी हैं। इन योजनाओं को हम उंगलियों पर गिना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास गिनाने के लिए कोई भी विकास का काम नहीं है। केंद्र सरकार लगातार दिल्ली के विकास पर ध्यान दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बदरपुर इलाके में करीब 400 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार द्वारा ईको पार्क का विकास कार्य चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के पश्चिम तट पर डीडीए बांसेरा पार्क विकसित कर रहा है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में भी एक पार्क का विकास कार्य चल रहा है। विकास मार्ग रिंग रोड़ के साथ यमुना तट पर असिता पार्क का विकास हाल ही में हुआ है।

अमर उजाला | नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 10 अगस्त 2023

डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई से हाईकोर्ट खफा, पूछा- कानून व्यवस्था है या नहीं

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने विध्वंस पर रोक लगाने के अदालती आदेश के बावजूद एक घर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बुलडोजर कार्रवाई की लाइव तस्वीरें देखकर हैरानी जताई। अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या वहां कोई कानून-व्यवस्था है या नहीं? इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

न्यायमूर्ति तारा विस्तारा गंजू की पीठ ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित होने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगने तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी की गई कार्रवाई को कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि यह अपने आप में अनोखा मामला है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। उपरोक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने डीडीए, बागवानी विभाग के निदेशक को एक हलफनामा दायर करने और उक्त संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त तय की है।

मामला जाकिर नगर गली नंबर-12 निवासी नसीम अहमद के घर के बाहर डीडीए द्वारा चिपकाए गए तोड़फोड़ नोटिस से जुड़ा है। वकील तरुण राणा के माध्यम से दायर याचिका में नसीम ने कहा कि नोटिस में 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश के तहत झुग्गियों में आधे-पक्के घरों को ध्वस्त करने का जिक्र है। उन्होंने कहा कि उनकी बिल्डिंग उस श्रेणी में नहीं आती। उन्होंने दलील दी कि उनके पास बिजली कनेक्शन और अन्य दस्तावेज हैं। इस संबंध में अधिकारियों को रिपोर्ट दी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

आदेश के बावजूद एक घर को तोड़ने की लाइव तस्वीरें देखकर जताई हैरानी

नसीम की ओर से पेश वकील तरुण राणा ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा से तत्काल सुनवाई की मांग की। मामला न्यायमूर्ति तारा विस्तार गंजू के समक्ष आया।

सोमवार को जब टीम तोड़फोड़ के लिए मौके पर पहुंची तो याचिकाकर्ता के वकील ने मामला कोर्ट के सामने उठाया, कोर्ट ने डीडीए की वकील मनिका त्रिपाठी को मामले की सुनवाई से पहले तोड़फोड़ की कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। इस पर डीडीए ने आश्वासन दिया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुबह 11.25 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता की ओर से वकील तरुण राणा, संदीप शर्मा ने डीडीए द्वारा की जा रही तोड़फोड़ का वीडियो कोर्ट के सामने पेश किया।

साथ ही विध्वंस स्थल पर संपत्ति का मालिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सामने पेश हुआ।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI 10 अगस्त, 2023 ▶ गुरुवार

वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन का श्रेय ले रही आपः सचदेवा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने बुधवार को विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ एक पत्रकार वार्ता में आईटीओ के शहीदी पार्क स्थल पर दिल्ली के तीसरे वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिल्लीवासियों की ओर से आभार प्रकट किया है। दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर एवं मीडिया रिलेशन विभाग प्रमुख विक्रम मित्तल पत्रकार वार्ता में उपस्थित रहे। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि केन्द्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए 15 करोड़ रुपये के अनुदान से शहीदी पार्क का पुनर्विकास किया गया है और पूरे देश की सांस्कृतिक झलक दिखाता हुआ यह पार्क अब मध्य दिल्ली का एक उत्कृष्ट पर्यटक केन्द्र बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने गत 9 वर्ष में दिल्ली के विकास, दिल्ली के सौंदर्यीकरण पर हजारों करोड़ की योजनाएं लागू की हैं और उन्हीं के बीच दिल्ली के पर्यावरण एवं पर्यटन पर भी केन्द्र सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। केन्द्र सरकार ने दिल्ली को तीसरा वेस्ट टू वंडर पार्क दिया है, दिल्ली में इससे पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा तत्कालीन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को फंड देकर पंजाबी बाग एवं सराय काले खां में वेस्ट टू वंडर पार्क बनवाए गए, जो आज दिल्ली के बड़े पर्यटन केन्द्र हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार का दिल्ली के पर्यटक एवं पर्यावरण के प्रति योगदान इन तीन वेस्ट टू वंडर पार्क तक ही सीमित नहीं है। केन्द्र सरकार दिल्ली के बदरपुर इलाके में लगभग 400 करोड़ की लागत से एक ईको पार्क का विकास करवा रही है, इसके अतिरिक्त दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के पश्चिम तट पर डीडीए बांसेरा पार्क विकसित कर रहा है।

झूठे आरोप लगा रही है भाजपाः पाठक

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी व विधायक दुर्गेश पाठक ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में एमसीडी को बर्बाद कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही कुछ माह के भीतर हाउस टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी में ईमानदार सरकार बनते ही बदलाव हो रहा है। लेकिन यह बदलाव भाजपा को पच नहीं रहा है। इसलिए भाजपा जलन के तहत दुष्प्रचार करने में लगी हुई है और झूठे आरोप लगा रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **Hindustan Times** नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 10 अगस्त 2023

DATED

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

EXTRA-ORDINARY APPELLATE JURISDICTION

SLP(C) Diary No. 31807 OF 2022

WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF

And I. A. No. 30223/23 (Application for Condonation of Delay in Filing SLP)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY ... Petitioner(s)/ Appellant(s)

VERSUS

MADHU AND OTHERS ... Respondent(s)

TO,

MADHU W/O VINOD KUMAR,
R/O F-79, WEST JAWAHAR PARK,
LAXMI NAGAR, DELHI,
DISTRICT - NEW DELHI, DELHI

PID: 133702/2023
FOR R[1] IN
DIARY NO. 31807/2022
(SEC XIV)

WHEREAS the Petition for Special Leave to Appeal with prayer for interim relief along with application for **CONDONATION OF DELAY IN FILING, CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS, EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT, SUBSTITUTED SERVICE** above mentioned (copy enclosed) filed in the Registry by **Mr. NITIN MISHRA,** Advocate on behalf of the Petitioner(s) above named was listed for hearing before this Court on **17th February, 2023** along with the connected matters, when the Court was pleased to pass the following order:-

"Learned counsel appearing on behalf of the petitioner has vehemently submitted that, in the present cases, even the Hon'ble High Court has also observed in para 4 at page 2 that the posses- sion of the land in question was taken over. It is submitted that however thereafter, following the decision of this Court in the case of Pune Municipal Corporation and Another vs. Harakchand Misirimal Solanki and Others reported in (2014) 3 SCC 183, the High Court has declared that the acquisition with respect to the land in question is deemed to have lapsed under Section 24(2) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabil- itation and Resettlement Act, 2013, which is not sustainable in view of the subsequent Constitution Bench decision of this Court in the case of Indore Development Authority vs. Manoharlal & Ors. Etc. reported in 2020 (8) SCC 129. Issue notice on the application for condonation of delay as well as on the Special Leave Petition, returnable on 10.04.2023. Dasti, in addition, is permitted. Respondents be served within a period of 10 days from today."

AND WHEREAS, the matter above-mentioned was listed before **Hon'ble Court** on **10th July, 2023,** When the following order was passed:-

".....I.A. No. 77828/2023 in Diary No. 31807/2022

The petitioner seeks permission for substituted service of notice on respondent No. 1. Permission sought for is granted. The petitioner shall take out notice by substituted service by making publication in one edition of Hindustan Times (English and one edition of Nav Bharat Times (Hindi), having circulation in the area concerned within a period of four weeks.

List these matters after four weeks."

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above petition with prayer for interim relief along with application for **CONDONATION OF DELAY IN FILING, CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS, EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT** will be posted for hearing before this Court in due course and you may enter appearance before this Court either in person or through an advocate on record of this Court duly appointed by you in that behalf within prescribed time from the date of service of notice. You may thereafter show cause to the Court on the day that may subsequently be specified as to why delay in filing SLP delay in filing/refiling SLP be not condoned and Special Leave Petition and interim relief as prayed be not granted and the resultant appeal be not allowed.

Take Further Notice that the prayer for interim relief after notice will also be listed before the Court in due course.

You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule 14(1) of Order XXI, S.C.R.2013 within 30 days from the date of receipt of notice or not later than 2 weeks before the date appointed for hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SLPs and may produce such pleadings and documents filed before the Court/Tribunal against whose order the SLP is filed and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.

TAKE FURTHER NOTICE that if you fail to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.

Sd/-

Dated :17th July, 2023 **ASSISTANT REGISTRAR**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY